

**राजस्थान उच्च न्यायालय**

**जयपुर बेंच**

डी.बी. विशेष अपील रिट संख्या 581/2017

1. राजस्थान राज्य मुख्य सचिव, राजस्थान राज्य, शासन सचिवालय, जयपुर-302005 के माध्यम से
2. सचिव, कार्मिक विभाग ए-3, राजस्थान राज्य, मुख्य भवन, सरकारी सचिवालय, जयपुर-302005
3. प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान राज्य, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर
4. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान राज्य, मुख्य भवन, सरकार सचिवालय, जयपुर
5. निदेशक, तकनीकी शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, डब्ल्यू6, रेजीडेंसी रोड, जोधपुर

----अपीलकर्ता

बनाम

भरत लाल टेलर पुत्र कनेहिया लाल टेलर, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 1, श्यामपुरा, शिव कॉलोनी, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान

----उत्तरदाता

---

|                     |                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अपीलकर्ता(ओं)के लिए | : सुश्री माही यादव, एएजी सहायता प्राप्त<br>श्री राहुल गुप्ता एवं<br>श्री मुदित बच्छावत के द्वारा |
| उत्तरदाता(ओं)के लिए | : श्री पी.एस. तोमर                                                                               |

---

**माननीय चीफ जस्टिस श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव**  
**माननीय जस्टिस श्री आशुतोष कुमार**  
**आदेश**

रिपोर्टयोग्य

**22/10/2024**

1. यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 08.12.2016 के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया है।
2. राज्य के विद्वान वकील का कहना है कि विद्वान एकल न्यायाधीश रिट याचिका को अनुमति देने में रिकॉर्ड पर प्राप्त सही तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति की सराहना करने में विफल रहे। राज्य के विद्वान वकील का पहला तर्क यह है कि राजस्थान तकनीकी शिक्षा (इंजीनियरिंग) सेवा नियम, 2010 (संक्षेप में '2010 के नियम') का नियम 36 उस मामले में लागू नहीं होगा जहां बाद की नियुक्ति एक अलग कांडर में है। यह प्रस्तुत किया गया है

कि 2010 के नियमों के नियम 36 को केवल उन मामलों में लागू माना जाना चाहिए जहां किसी व्यक्ति को समान कांडर में उच्च पद पर नई नियुक्ति मिलती है। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी प्रशिक्षक (इलेक्ट्रिकल) के रूप में काम कर रहा था, लेकिन बाद में, उन्होंने लेक्चरर (इलेक्ट्रिकल) के पद पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया में भाग लिया और उन्हें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, बांसवाड़ा में लेक्चरर (इलेक्ट्रिकल) के रूप में नियुक्त किया गया।

2.1 दूसरा निवेदन यह है कि चूंकि याचिकाकर्ता का ग्रहणाधिकार उसके पूर्ववर्ती पद अर्थात् प्रशिक्षक (इलेक्ट्रिक) से पहले ही समाप्त हो चुका था, इसलिए 2010 के नियम 36 को लागू नहीं किया जा सका।

2.2 अगला तर्क यह है कि निलंबन आदेश के विरुद्ध रिट याचिकाकर्ता ने अपील दायर की थी और उसे खारिज करने से पहले उसकी बात भी सुनी गई थी, इसलिए वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन की शिकायत नहीं कर सकता।

2.3 अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें प्रतिवादी भ्रष्टाचार के एक मामले में संलिप्त था और इसलिए, उसे तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि वह परिवीक्षा पर था।

3. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि रिट याचिका में विशिष्ट कथन किए गए हैं कि 20.06.2014 को समाप्ति का आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि 2010 के नियमों का नियम 36 वर्तमान मामले में पूरी तरह लागू होता है क्योंकि रिट याचिकाकर्ता प्रशिक्षक (इलेक्ट्रिक) के निचले पद पर काम कर रहा था और चयन होने पर उसे प्रोबेशन पर लेक्चरर (इलेक्ट्रिक) के पद पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि केवल अपराध करने के आरोप पर रिट याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त नहीं की जा सकती क्योंकि लागू सेवा नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अधिक से अधिक उसे निलंबित किया जा सकता है।

4. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेखों का अवलोकन किया है।

5. संक्षेप में, प्रासंगिक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को प्रारंभ में तकनीकी शिक्षा बोर्ड, जोधपुर निदेशालय में दिनांक 08.02.1993 के आदेश द्वारा नियमित चयन के बाद अनुदेशक (इलेक्ट्रिक) के पद पर नियुक्त किया गया था और बाद में 04.12.2006 को उनका स्थायीकरण किया गया। बाद में, उन्होंने व्याख्याता (इलेक्ट्रिक) के पद पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया में भाग लिया, जिस पर उन्हें 20.01.2009 को नियुक्त किया गया और राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बांसवाड़ा में पदस्थापित किया गया।

6. तथापि, भ्रष्ट आचरण में संलिप्त होने के आरोप में 20.05.2010 को एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया, जिसके कारण वे 48 घंटे से अधिक समय तक जेल में रहे, जिसके कारण अंततः उन्हें निलंबित कर दिया गया।

6.1 जबकि निलंबन आदेश से व्यथित प्रतिवादी ने निलंबन आदेश को चुनौती देने के लिए अपील का उपाय किया था, हालांकि असफल रहा, घटनाओं के एक अन्य मोड़ में, 20.06.2014 को विवादित आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा एक आपराधिक मामले में शामिल होने के आरोप पर उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

7. आदेश को चुनौती दिए जाने पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका स्वीकार कर ली। बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करते हुए प्रतिवादी को राहत देने का एक मुख्य आधार यह है कि 2010 के नियम 36 के अनुसार, परिवीक्षाधीन कर्मचारी के रूप में बर्खास्तगी की स्थिति में, कर्मचारी को उसी निचले पद पर वापस भेजा जाना चाहिए जिस पर वह स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्यरत था।

7.1 नियोक्ता-राज्य और उसके कर्मचारियों के बीच संबंध केवल सेवा अनुबंध की शर्तों से संचालित नहीं होते। राज्य और उसके कर्मचारी के बीच स्वामी और सेवक का संबंध वैधानिक उत्साह और रंग रखता है। दोनों ही सेवा की शर्तों और नियमों को नियंत्रित करने वाले कुछ वैधानिक नियमों से बंधे हैं। किसी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने की राज्य की शक्ति सेवा नियमों में निहित प्रावधानों द्वारा शासित, विनियमित और परिबद्ध होती है और एक बार किसी व्यक्ति की सेवा में नियुक्ति हो जाने के बाद, उसकी सेवाओं से छूट नहीं दी जा सकती, सिवाय लागू सेवा नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार।

8. प्रतिवादी एक स्थायी कर्मचारी था जो प्रशिक्षक (इलेक्ट्रिक) के पद पर कार्यरत था और यह तथ्य विवादित नहीं है। बाद में, 2009 में उसका चयन हुआ और उसे व्याख्याता (इलेक्ट्रिक) के उच्च पद पर नियुक्त किया गया। निस्संदेह, जिस समय उसे सेवा से बर्खास्त किया गया, उस समय वह परिवीक्षाधीन के रूप में कार्यरत था।

9. सामान्यतः, जहाँ किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति का कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। यदि आदेश पूर्णतः हानिरहित हो और असंतोषजनक कार्य-निष्पादन के आधार पर सेवामुक्ति के अलावा कुछ न कहता हो, तो इसे कलंकात्मक प्रकृति का नहीं कहा जा सकता। हालाँकि, वर्तमान मामले में, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवामुक्ति के मामले में, नियम 2010 के नियम 36 लागू हो सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति, जिसे परिवीक्षाधीन पद से मुक्त किया गया है, निम्न पद पर कार्यरत था। नियम 2010 के नियम 36 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:-

**“36. परिवीक्षा के दौरान असंतोषजनक प्रगति.-** यदि नियुक्ति प्राधिकारी को, किसी भी समय, परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसके अंत में, यह प्रतीत होता है कि किसी परिवीक्षाधीन

प्रशिक्षु की सेवा संतोषजनक नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे उस पद पर वापस कर सकता है जिस पर वह परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में उसकी नियुक्ति से ठीक पहले नियमित रूप से चयनित था या अन्य मामलों में उसे सेवा से मुक्त या समाप्त कर सकता है। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अंतिम आदेश पारित करने से पहले परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को उचित अवसर प्रदान करेगा;

बशर्ते कि नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह किसी मामले या मामलों के वर्ग में ऐसा उचित समझे, किसी परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु की परिवीक्षा अवधि को एक वर्ष से अनधिक की निर्दिष्ट अवधि तक बढ़ा सकता है।"

10. नियम की निष्पक्ष, तर्कसंगत और तार्किक व्याख्या इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि यदि किसी परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु की सेवाएँ संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं, तो उसकी सेवाएँ समाप्त करने के बजाय, उसे उस पद पर वापस भेजा जा सकता है जिस पर वह परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति से ठीक पहले नियमित रूप से चयनित हुआ था। नियम आगे यह भी आदेश देता है कि अन्य मामलों में, उसकी सेवाएँ समाप्त या समाप्त की जा सकती हैं। अर्थात्, जिन मामलों में कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति अपने चयन से पहले किसी अन्य पद पर कार्यरत नहीं था, उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं या उसे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। हालाँकि, यदि वह किसी अन्य पद पर कार्यरत था, तो प्राधिकारी कानून के तहत उसे उसके पूर्व पद पर वापस भेजने के लिए बाध्य है और प्राधिकारी के पास उसे वापस भेजने या न भेजने का कोई विवेकाधिकार नहीं है। "या उसे सेवा से बर्खास्त" पद केवल उन परिस्थितियों में लागू होता है जब परिवीक्षाधीन व्यक्ति अपने चयन और उच्च पद पर नियुक्ति से पहले किसी अन्य पद पर नियमित कर्मचारी न रहा हो, जिस पर वह परिवीक्षा पर बना हुआ है। ऐसे मामलों में, दायित्व यह है कि उसे उस पद पर वापस लौटाया जाए जिस पर वह परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति से ठीक पहले नियमित रूप से चयनित था। इसलिए, राज्य के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि वापस लौटने या न लौटने का विवेकाधिकार सभी मामलों में लागू होता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता और अस्वीकार किया जाता है।

11. इसके अलावा, हम पाते हैं कि 2010 के नियम 36 में परिवीक्षाधीन व्यक्ति को इस प्रकार संरक्षण प्रदान किया गया है कि नियुक्ति प्राधिकारी पर यह दायित्व डाला गया है कि वह मामले में अंतिम आदेश पारित करने से पहले परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करे।

11.1 सामान्यतः, अधिकांश सेवा नियमों में, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा से बर्खास्त करने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान करने का प्रावधान नहीं होता है, तथापि, वर्तमान मामले में, 2010 के नियम 36 में विशिष्ट प्रावधान किया गया है, इसलिए, यह बिना किसी अपवाद के, प्राधिकारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य करता है।

12. हमारी समझ से, ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि नियम स्वयं विभिन्न आकस्मिकताओं का प्रावधान करता है, जैसे किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को तब सेवामुक्त करना जब वह किसी अन्य पद पर कार्यरत हो और किसी निचले पद पर कार्यरत परिवीक्षाधीन व्यक्ति को तब सेवामुक्त करना। इसलिए, सुनवाई का अवसर अनिवार्य है। याचिका में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 20.06.2014 को सेवा समाप्ति का आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इसलिए, राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह न्यायालय को संतुष्ट करे कि सेवा समाप्ति का आदेश पारित करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर दिया गया था। हमें ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला, और न ही प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दावा किया गया कि सेवा समाप्त करने से पहले प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर दिया गया था। स्पष्ट रूप से, सेवा समाप्ति का आदेश शुरू से ही अमान्य है।

13. विद्वान राज्य अधिवक्ता का एक तर्क कि 2010 के नियम 36 केवल उसी स्थिति में लागू होगा जब व्यक्ति उसी संवर्ग में नियुक्त हो, भले ही वर्तमान मामले में तर्क के लिए स्वीकार कर लिया जाए, सही नहीं है। 2010 के नियम 36 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह अनिवार्य करता हो कि इस प्रावधान को लागू करने के लिए व्यक्ति को उसी संवर्ग में कार्यरत होना चाहिए। वास्तव में, नियम कुछ भी नहीं कहता। हालाँकि, इसे तर्कसंगत रूप से समझा जाना चाहिए और ऐसे मामले के रूप में व्याख्यायित किया जाना चाहिए जहाँ कोई व्यक्ति उसी नियुक्ता, यानी राज्य के अधीन कार्यरत था। यदि ऐसा है, तो नियम लागू होता है।

14. अंतिम लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, विद्वान राज्य वकील द्वारा प्रतिपादित एक चरम प्रस्ताव यह है कि ऐसे मामलों में जहाँ व्यक्तियों पर भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल होने का आरोप है, उनकी सेवाएं सीधे समाप्त की जा सकती हैं। कानून के प्रस्ताव के रूप में, हम इसे स्वीकार करने में असमर्थ हैं। किसी दिए गए मामले में, एक परिवीक्षाधीन की समाप्ति उचित हो सकती है। हालांकि, अगर समाप्ति का आदेश ही कलंकित करता है, तो यह दीप्ति प्रकाश बनर्जी बनाम सतवेंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कलकत्ता और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अच्छी तरह से स्थापित किया गया है, जो कि **एआईआर 1999 एससी 983 में रिपोर्ट किया गया है**, कि यदि समाप्ति का आदेश कलंकपूर्ण होगा, तो इसे सरल या हानिरहित समाप्ति आदेश द्वारा परिवीक्षाधीन की बर्खास्तगी के रूप में नहीं बचाया जा सकता है। अगर हम इस तर्क को स्वीकार भी कर लें कि व्याख्याता (इलेक्ट्रिक) को केवल इस आधार पर पद से हटाना उचित और उचित था कि वह भ्रष्टाचार के एक मामले में संलिप्त पाए गए थे, तो भी प्रतिवादी के पक्ष में 2010 के नियम 36 का आदेश आता है, जिसके अनुसार अपीलकर्ता-राज्य को उन्हें उस पद पर वापस करना होगा जिस पर वह परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति से ठीक पहले कार्यरत थे। यदि अंततः, आपराधिक मुकदमे में भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध पाए जाते हैं, तो दोषसिद्धि के आधार पर बर्खास्तगी का सहारा लिया जा सकता है, चाहे वह किसी भी पद पर हों।

15. किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, तो बर्खास्तगी का विवादित आदेश कानूनन टिकने योग्य नहीं है। इसलिए, हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं, हालाँकि इसके लिए उन कारणों को छोड़ दें जो विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पहले ही बताए जा चुके हैं।

16. अपील विफल हो जाती है और इसे एतद्वारा खारिज किया जाता है। यदि कोई लंबित आवेदन है, तो वह भी खारिज किया जाता है।

(आशुतोष कुमार), जे

(मनींद्र मोहन श्रीवास्तव), सीजे

कमलेश कुमार-राहुल/147

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



**Tarun Mehra**  
**Advocate**